न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 54/2015 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्रीमती रूकमण कंवर पुत्री मोड़सिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, हाल खटीकवाड़ा सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. लक्ष्मणसिंह पिता भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, हाल खटीकवाड़ा सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामसिंह पिता नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, हाल कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. भगवतसिंह पिता नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, हाल कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. प्रेमकंवर बेवा नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, हाल कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (नाम तर्क किया गया)
4. मोजीराम पिता डालू, जाति जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तह0 आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. लोभाराम पिता डालू, जाति जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तह0 आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. धूलसिंह पिता सज्जनसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा के बजाय कायम मुकाम :–
   6/1. उदयसिंह पिता धूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील आमेट।
   6/2. फतेहसिंह पिता धूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील आमेट।
   6/3. गोवर्धनसिंह पिता धूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील आमेट।
   6/4. किशनसिंह पिता धूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील आमेट।
   6/5. मीरा कंवर पुत्री धूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील आमेट।
7. जेतसिंह पिता सज्जनसिंह, जाति राजपूत, नि0 गोपालपुरा, तह0 आमेट, जिला राजसमन्द।
8. हमेरसिंह पिता सज्जनसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (नाम तर्क किया गया)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट प्रकरण संख्या 16/2010 दिनांक 05.11.2015

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री रामलाल मेघवाल अभि. रे. सं. 1, 2, 3
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

———:::———

निर्णय **दिनांक 01–11–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारगढ़ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 3376 रकबा 3.4300 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 29/114 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 18/57 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 10/57 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 29/218 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 29/218 हिस्सा बनता है। अतः वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:06:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3 व 7 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दो तनकियां कायम की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05–11–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्टगण ने अपने जवाबदावे में वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि वादीगण अन्यत्र निवास करते हैं तथा वादीगण के पूर्वाधिकारी ने करीब 35 वर्ष पूर्व उक्त भूमि का विक्रय अपीलान्ट संख्या 1 के पिता मोड़सिंह को विक्रय कर दिया था, तब से कब्जा अपीलान्टगण का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जेयाबी का वाद लाये वादीगण को विभाजन एवं निषेधाज्ञा का वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड़ में अपीलान्टगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 अनुसार विवादित आराजियात पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित भूमि दावा दायरी के 35 वर्ष पूर्व ही वादीगण के पूर्वजों ने अपीलान्ट संख्या 1 के पिता मोड़सिंह को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, तब से कब्जा अपीलान्टगण का चला आ रहा है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जबकि दूसरी ओर अन्य प्रतिवादीगणों ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए वाद अनुसार प्रकरण में विभाजन किये जाने में किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–11–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती रूकमण कंवर पुत्री मोड़सिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, नि. गोपालपुरा हाल खटीकवाड़ा सरदारगढ़ तह0 आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **रामसिंह पिता नारायणसिंह, जाति राजपूत निवासी गोपालपुरा, हाल कांकरोली, तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**54 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**आमेट** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**....05**.....माह.....**11**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**01**.....माह.....**11**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश देवपुरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री रामलाल मेघवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–11–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**01**.....माह.....**11**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested